रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 2022/98 (58/2022) अनुवान शिवा बनाम रामेश्वरलाल
.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली दिनांक 07.03.2022 से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 की तलबी में विचाराधीन चल रही है। वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 14.06.2022, 25.7.2022, 12.10.2022, 14.12.2022, 26.03.2024, 26.06.2024, 12.12.2024 को आदेशिका में वर्णित हिदायत के साथ अवसर दिये गये है। वकील प्रार्थी को गत तारीख पेशी 06.03.2025 को अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन की जाने बाबत अन्तिम अवसर साबिका आदेश की पालना नहीं किये जाने पर प्रकरण हाजा को सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 5 के तहत खारिज किये जाने की हिदायत के साथ अवसर दिया गया था। परन्तु वकील प्रार्थी ने साबिका आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 09 नियम 5 के तहत साबिका आदेश की पालना नही की जाने पर अदम तकमील में खारिज किया जाता है। प्रकरण नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां